कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

[illegible] हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 [illegible] दिवराला [illegible] दिनांक – 11-5-18 [illegible]	
11.05.2018	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान– 2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प–दिवराला के अटल सेवा केन्द्र में पेश हुई। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण से सम्बन्धित अपील नामान्तरण मुकदमा नम्बर 15/2005 उनवानी श्रवणी बनाम् मांगीदेवी वगै0 स्वीकार होकर फैसल हो चूकी है। उक्त अपील नामान्तरण के स्वीकार हो जाने से मूल वादपत्र में चाही गई इब्तददुआ जरिये अपील नामान्तरण प्राप्त हो चूकी है। जिसके कारण मूल वाद फैसल हो चूका है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 11.05.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान– 2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प–दिवराला के मजमे–ए–आम में सुनाया गया। (ब्रह्म लाल जाट) आर.ए.एस. सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्पः–दिवराला	

Scanned by CamScanner